न्यायालय नायब तहसीलदार पीलवा..... (नागौर) राजस्थान

प्रार्थी राज.सरकार जरिये पटवारी हल्का झालरा

बनाम

अप्रार्थी :– श्री राजाराम/ रामचन्द्र जाट निवासी खांपोर अन्तर्गत धारा 91 भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रकरण संख्या 33 / 2018

निर्णय — दिनांक 27.06.2018

पत्रावली का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का झालरा ने अप्रार्थी के विरूद्व टी.पी.रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि अप्रार्थी द्वारा सवत 2075 में सरहद खांपोर के खसरा नम्बर 302 मी. किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 0.0025 बीघा भूमि में झाड़ियां लगा कर अतिक्रमण किया है। जिस पर वाद धारा 91 एल आर एक्ट 1956 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को वास्ते वजह सबूत नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी — से नोटिस तामिल होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी की तरफ से अधिवक्ता श्री — ने दिनांक — को उपस्थित होकर — प्रस्तुत किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया ।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजातो एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । अप्रार्थी का मौजा खांपोर के खसरा नम्बर 302 किस्म गै.मु. गोचर में रकबा 0.0025 बीघा की भूमि पर अतिकमण किया जाना वर्तमान में सिद्व होना पाये जाने पर अप्रार्थी को अतिकमी घोषित किया जाता है।

अत : अप्रार्थी द्वारा उक्त अतिकमित भूमि पर किये गये अतिकमण को मौके से बेदखल करने का आदेश पारित किया जाता है। लगान दर 8— रूपये प्रति बीघा की दर से अतिकमित रकबा 0.0025 बीघा भूमि के 0.02 रूपये लगान का 50 गुणा 1— /— अक्षरे एक रूपये बतौर जुर्माना दण्डित किया जाता है। जुर्माना की राशि तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी हल्का को मांग कायमी कर वसूली हेतु लिखा जावे। पटवारी हल्का को आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थी को मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनॉक 27.6.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

नायब तहसीलदार पीलवा